संख्या–1272/V-2/2019–83(आ0)/2018

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

2– उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

3– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 13 सितम्बर, 2019

विषयः एकल आवास, व्यवसायिक भवनों, आवासीय भू–उपयोग में व्यवसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओ0पी0डी0/पैथोलोजी लैब/डाईग्नोस्टिक सेन्टर/चाइल्ड केयर/नर्सरी स्कूल कैच एवं प्ले ग्रुप को एक बार समाधान योजना के तहत शमन/विनियमितिकरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1152/V-2–2019–105(आ0)/2013 टी0सी0, दिनांक 27 अगस्त, 2019 एवं शासनादेश संख्या–1201/V-2–2019–105(आ0)/2013 टी0सी0, दिनांक 04 सितम्बर, 2019 के द्वारा एकल समाधान योजना (One time settlement) स्वीकृत की गयी थी। उक्त शमन योजना की अवधि शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 03 माह तक निर्धारित की गयी थी। यथाआवश्यकता उक्त अवधि को विस्तारित किये जाने के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त एकल समाधान योजना को 31 दिसम्बर, 2019 तक विस्तारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– शमन शुल्क निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या–40/V-2–2019–83 (आ0)/2018 टी0सी0, दिनांक 10 जनवरी, 2019 के द्वारा आवास विभाग के अन्तर्गत प्राधिकरणों में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क की दरों को दिनांक 01.04.2019 से पुनरीक्षित किया गया था। उक्त दरों के सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि शमन की उक्त पुनरीक्षित दरें दिनांक 01.01.2020 से प्रभावी होंगी।

3– एकल समाधान योजना, शासनादेश संख्या–1152/V-2–2019–105(आ0)/2013 टी0सी0, दिनांक 27 अगस्त, 2019 एवं शासनादेश संख्या–1201/V-2–2019–105(आ0)/2013 टी0सी0, दिनांक 04 सितम्बर, 2019 के द्वारा लागू की गयी है। इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शमन योजना हेतु दिनांक 01.04.2019 से पूर्व की प्रभावी शमन की दरें अनुमन्य होंगी तथा एकल समाधान योजना के तहत दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी पुनरीक्षित शमन की दरों के आधार पर जिन प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा शमन की कार्यवाही की गयी है, उक्त समस्त प्रकरणों में भी दिनांक 01.04.2019 से पूर्व प्रभावी शमन की दरें लागू होंगी और इस प्रकार जिनसे बढ़ी हुई दरों पर शमन शुल्क जमा करा दिया गया है, उनको बढ़ा हुआ शुल्क वापस (Refund) किया जायेगा।

4– शासनादेश संख्या–1152/V-2–2019–105(आ0)/2013 टी0सी0, दिनांक 27 अगस्त, 2019 एवं शासनादेश संख्या–1201/V-2–2019–105(आ0)/2013 टी0सी0, दिनांक 04 सितम्बर, 2019 में उपरोक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित संशोधनों के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत रहेंगें और शासनादेश संख्या–40/V-2–2019–83 (आ0)/2018 टी0सी0, दिनांक 10 जनवरी, 2019 में उक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित संशोधनों के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत रहेंगें।

उपरोक्त प्राविधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगें।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या–1272/V-2/2019–105(आ0)/2013 टी0सी0, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास विभाग, उत्तराखण्ड को मा0 आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
7– आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून।
8– आयुक्त, गढ़वाल गढवाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
9– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
10– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– सचिव, विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार।
12– एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।